

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.स्था.2/691/2021/19495

भोपाल, दिनांक

18/11/2021

// आदेश //

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 24.6.2021 को जारी किया गया। इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर समाजशास्त्र विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

Sr	NAME	Address	ROLLNO	RANK	CATEGORY	Selected Category	Posting Place	District-Block
1	SUNIL KUMAR YADAV	376 RAWANWARA 11/12 NEAR 33 KV SUB STATION 11/12 PARASIA CHD MADHYA PRADESH 480441	74460721	14	OBC	OBC/X/OP	H.S.S. KURSIDHANA- 23430509007	CHHINDWARA- TAMIA
2	SUNITA SHUKLA	H.NO 12/689 NEAR DAINIK JAGRAN PRESS KHUTEHI HUZUR REW MADHYA PRADESH 486001	74587789	16	UR	UR/X/F	Govt Girls H.S.S.Badra- 23470101613	ANUPPUR- ANUPPUR
3	RANJANA CHAUDHARY	BEHIND SANJAY GENERAL STORE DALI BABA ROAD SATNA RAGHURAJNAGAR SAT MADHYA PRADESH 485001	74491127	23	SC	UR/X/F	HS NAVEEN GWARI (RMSA)- 23420105404	MANDLA- MANDLA
4	ARVIND SHARMA	313 DANK BANGLAW SHIVPURI ROAD PAL COLONY PICHHORE SVP MADHYA PRADESH 473995	74617068	26	EWS	EWS/X/OP	HSS GIRDHARPUR- 23011000207	SHEOPUR- KARAHAL
5	SHRIKANT MISHRA	545 GOLA KUA KE PASS LAXMIPURA WARD SAGAR SAG MADHYA PRADESH 470002	74630308	32	EWS	EWS/X/OP	GHSS Sillor- 23440414501	SEONI-KURAI
6	KAMLESH PANWAR	54/6 BADKUMED POST BADKUMED UJJAIN UJJ MADHYA PRADESH 456661	74585084	33	SC	SC/X/OP	HSS SAKARAWADA- 23200605606	RATLAM- SAILANA
7	SANDEEP PATEL	LAXMI NARAYAN SANI KA BAGICHA GOPALGANJ SAGAR SAGAR SAG MADHYA PRADESH 470002	74465076	80	OBC	OBC/EH/OP	HS SULAWAD- 23250905102	DHAR- NALCHHA
8	ROOPALI SONEKAR	WARD NO 02 BHATERA CHOUKI NEAR FOREST NAKA BALAGHAT BLG MADHYA PRADESH 481001	74492028	122	SC	SC/X/F	GOVT HSS GUDMA- 23451022504	BALAGHAT- BIRSA

9	KAVITA MEHAR	134 GANGADEVI NAGAR BEHIND BCM HEIGHTS BUILDING INDORE IND MADHYA PRADESH 452010	74603916	135	SC	SC/X/F	HSS GIRLS MANDLESHWAR- 23271400323	KHARGONE- MAHESHWAR
10	VIJAY KACHI	117 GRAM KABIRPUR POST MANGOLA BATIYAGARH DAM MADHYA PRADESH 470673	74477161	173	OBC	GF/OBC/X/OP	HSS NARMADA PODI LINGA - 23420101405	MANDLA- MANDLA
11	KUNWAR SINGH	00 BHAMORI POST LONGSARI KUKSHI DHR MADHYA PRADESH 454221	74479724	243	ST	ST/X/OP	HS THUVATI- 23250704413	DHAR-KUKSHI
12	JYOTI PORTE	VILLAGE JAMGAON POST KASTARA THANA KUNDAM TEHSIL KUNDAM JBP MADHYA PRADESH 483110	74580719	296	ST	ST/X/F	HSS Jamgaon, Nainpur, Mandla - 23420211707	MANDLA- NAINPUR
13	DHANKUNWAR BARDE	75 FB SCHEME NO 94 NEAR MAHADEV TOTLA NAGAR INDORE IND MADHYA PRADESH 452016	74448672	314	ST	ST/X/OP	HSS Boys NO. 2 Barwani- 23280309622	BARWANI- BARWANI
14	RAJESH KUMAR KARTIKEY	147 MUKTI MARG SHANTI COLONY, BHUA BICHHIYA BICHHIYA MDL MADHYA PRADESH 481995	74523765	518	SC	GF/SC/X/OP	HS NAVEEN MALARA (RMSA)- 23420115205	MANDLA- MANDLA

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2(छठवां वेतनमान 9300-34800+3600 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-9 में तत्स्थानी वेतनमान 36200-114800 के न्यूनतम वेतन रुपये 36200/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायफण्ड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश राज्य जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधित नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9 /3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

